



# प्रथमा यू०पी०ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालय- रामगंगा बिहार फेज-2  
मुरादाबाद 244001 ( उ.प्र. )

क्षेत्रीय कार्यालय  
मुरादाबाद

## सार्वजनिक नीलामी द्वारा चल व अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

( वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार ) ( नियम 8 ( 6 ) और सुरक्षा हित ( प्रवर्तन ) के नियमों के नियम 6 ( 2 ) के तहत )

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 13(2) एवं सहपठित नियमों के अन्तर्गत ऋणकर्ता एवं सहअनुबन्धियों को उनके सम्पू्ण अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पर में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सहपठित नियम ( 8 ) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके सम्पू्ण अंकित तिथियों में बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अचल सम्पत्ति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी में सम्पत्तित होने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

क्र. सं.	खाते/ऋणी/सहअनुबंधी का विवरण/शाखा का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण/सम्पत्ति स्वामी	मांग सूचना अनुसार देय राशि/ मांग सूचना की तिथि/ कब्जा की स्थिति व तिथि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य/अर्बैस्ट मनी/जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय व स्थान
1	<b>ऋणी:-</b> मैसर्स एसवीएस एग्री फूड्स प्रा० लि०, डायरेक्टर और <b>बंधककर्ता:-</b> श्री विजय पाल सिंह चौहान पुत्र श्री धन पाल सिंह चौहान निवासी ए-59, सेक्टर 61, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर व <b>डायरेक्टर:-</b> श्रीमती संगीता चौहान पत्नी श्री विजय पाल सिंह चौहान निवासी ए-59, सेक्टर 61, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, <b>सहअनुबंधी:-</b> 1. श्री श्याम बानू पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी ग्राम व डाकखाना छाबड़ा, तहसील चंदौसी, सम्भल, 2. श्री शिव कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम व डाक० छाबड़ा, तहसील चंदौसी जिला सम्भल <b>शाखा:-</b> छाबड़ा	<b>सम्पत्ति १ :-</b> व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित है ग्राम धनुपुरा, खाता नं० 00117, खसरा नं० 144, डाक० छाबड़ा, तहसील चंदौसी जिला सम्भल, <b>जिस्का क्षेत्रफल- 0.486 हैक्टेयर, सम्पत्ति स्वामी-</b> श्री विजय पाल सिंह चौहान पुत्र श्री धन पाल सिंह चौहान <b>चौहददी:-</b> उत्तर- भूमि श्रीमती मुनी देवी, दक्षिण- भूमि राजवीर सिंह व सत्यवीर सिंह, पूर्व- चंदौसी-शाहबाद रोड, पश्चिम- भूमि तेजपाल सिंह	₹ 2,82,72,780.00 तिथि 15.12.2017 तक + व्याज एवं अन्य खर्च, मांग सूचना- 15.12.2017 सांकेतिक कब्जा 13.09.2018	₹ 1,33,00,000/- ₹ 13,30,000/- तिथि 05.07.2024 नीलामी से पूर्व	05.07.2024 समय सुबह 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद
		<b>सम्पत्ति नं० २- समस्त संयंत्र और मशीनरी (Entire Plant and Machinery M/S SVS Agri Food Pvt. Ltd ), स्थित है धनुपुरा, डाक० छाबड़ा तहसील चंदौसी, जिला सम्भल</b>	₹ 3,38,05,290.00 तिथि 22.10.2018 तक + व्याज एवं अन्य खर्च, मांग सूचना- 23.10.2018 सांकेतिक कब्जा 28.06.2019	₹ 48,50,000/- (प्लान्ट व मशीनरी) ₹ 4,85,000/- तिथि 05.07.2024 नीलामी से पूर्व	05.07.2024 समय सुबह 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद

### सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।

नीलामी की नियम व शर्तें- 1. नीलामी के समय बोलौचता को अनधिकृत मूल्य का 10 प्रतिशत बचान राशि के तिले द्वापरणे-आर्डर/आर्डर/ऑफर/एड्दर/एड्दर को प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोलौ से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 2. बोलौचता को अपना आधार कार्ड/वेन कार्ड साथ लाना होगा। बोलौचता को बोलौ स्वीकार होते ही नीलामी बोलौ का 25 प्रतिशत राशि तुल्य जमा करनी होगी तथा शेष राशि 15 दिनों के अंदर जमा करनी होगी अन्यथा पूर्व में जमा राशि जप्त कर ली जायेगी। 3. उपरोक्त सम्पत्तियों का विक्रय 'जहाँ है जैसा है जो है' के आधार पर किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कारण दर्शाए किसी भी बोलौ को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 4. असफल बोलौचता को धनराशि नीलाम सम्पत्ति के बार उसी दिन बिना व्याज के वापस कर दी जायेगी। 5. हस्तांतरण सम्बन्धी खर्च जैसे स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादि सभी विधि सम्पत्त खर्च सफल बोलौचताओं द्वारा वहन किये जायेंगे। 6. सम्पत्ति पर समस्त सरकारी कर व देवताओं की ज़िम्मेदारी बोलौचता को होगी। 7. अन्य जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित शाखा में सम्पर्क करें। 8. नीलामी अनधिकृत मूल्य से शुरू होगी तथा बोलौचता पांच हजार के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार करेंगे, नीलामी बंद होने पर उच्चतम बोलौचता को सफल बोलौचता घोषित कर दिया जायेगा। 9. यदि ऋणी नीलामी को तारोख से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण बकाया राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। 10. यह नोटिस ऋणी/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं को 30 दिन का नोटिस पढ़ा जाये।  
दिनांक: 03.06.2024, स्थान:- सम्भल व नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक